राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः– प.10(55)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांक :– 25/08/2022

संशोधित अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय अधिसूचना क्रमांक प. 10(55)नविवि/3/2011 दिनांक 25.06.2013 के द्वारा अधिसूचित नागौर के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान–2031 का अनुमोदन किया जाकर जारी किया गया था।

नगर परिषद, नागौर की निकाय की बैठक दिनांक 28.10.2021 के निर्णयानुसार जोनल डवलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत नागौर मास्टर प्लान–2031 में प्रस्तावित किये गये संशोधनों के प्रस्तावानुसार नागौर मास्टर प्लान–2031 में प्रस्तावित संशोधनों में से मेला मैदान तथा पशु चिकित्सालय हेतु दर्शाई गई भूमि को विशिष्ट क्षेत्र प्रस्तावित करते हुए, शेष संशोधनों का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त संशोधित नागौर मास्टर प्लान–2031 (संशोधित) की प्रति का अवलोकन नगर परिषद, नागौर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

25/8/2022
(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव द्वितीय

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
5. जिला कलक्टर, नागौर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि नागौर मास्टर प्लान–2031 (संशोधित) के मानचित्र की प्रति विभाग को उपलब्ध कराई जावे।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर जोन, अजमेर।
9. आयुक्त, नगर परिषद, नागौर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक .... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

– ६ –

संयुक्त शासन सचिव द्वितीय